

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक :- एफ.4(ई)/(336/88)/अलेसे -III/515-531

दिनांक :- 15.03.2015

आदेश संख्या 164 /2014-15

श्री कैलाश चन्द छीपा, कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय कोषालय राजसमंद को माननीय सेशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, जयपुर ने राजस्थान राज्य बनाम श्री कैलाश चन्द छीपा फौजदारी प्रकरण संख्या 8/1999 में पारित निर्णय दिनांक 31.01.2015 द्वारा दोषसिद्ध ठहराया गया है तथा धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 सपठित धारा 120 बी.भा.द.स. में एक वर्ष की कठोर कारावास व 2500/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। धारा 13(1)(डी) सपठित धारा 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 में दो वर्ष के कठोर कारावास व 2500/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अतः यह माना गया है कि उक्त श्री कैलाश चन्द छीपा, कनिष्ठ लेखाकार का यह आचरण, जिसके कारण उसे दोषसिद्ध ठहराया गया है, ऐसा है कि उन्हें लोक सेवा में और आगे रखना अवांछनीय है।

अतः अधोहस्ताक्षरकर्ता उक्त श्री कैलाश चन्द छीपा, कनिष्ठ लेखाकार को एतद्वारा तुरन्त प्रभाव से पदच्युत करते हैं/सेवा से हटाते हैं।


(भास्कर शर्मा)
निदेशक

क्रमांक :- एफ.4(ई)/(336/88)/अलेसे -III/515-531

दिनांक :- 19.03.2015

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :-

1. महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर को उनके पत्र क्रमांक भ्र.नि. ब्यूरो/विधि/7/2015/472-74 दिनांक 27.02.2015 के क्रम में।
2. शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, जयपुर।
3. शासन सचिव, कार्मिक विभाग, जयपुर।
4. महानिरीक्षक, पुलिस (प्रथम), भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
5. उप महानिरीक्षक, पुलिस (सतर्कता), कार्यालय मुख्यमंत्री, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
6. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एस.आई.यू.), जयपुर।
7. पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
8. कोषाधिकारी, राजसमंद। (रजिस्टर्ड)
9. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, दूदू (जयपुर)।
10. अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-I/डीपीसी शाखा)।
11. संयुक्त निदेशक (विधि), कोष एवं लेखा।
12. श्री कैलाश चन्द छीपा, कनिष्ठ लेखाकार कोषालय राजसमंद।
13. कम्प्यूटर अनुभाग (वेबसाइट पर प्रकाशन हेतु)।
14. निजी सहायक निदेशक महोदय।
15. गोपनीय शाखा/पदस्थापन सीट।
16. श्री कैलाश चन्द्र शर्मा, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II कार्यालय हाजा।
17. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।


(जसवन्त सिंह)
संयुक्त निदेशक (कार्मिक-III)